



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

E-mail-eeccalmorapwd@rediffmail.com

Ph. No.- 05962-230091

पत्रांक 2373 / 3सी0 (व.भू.)

दिनांक 22 / 09 / 2016

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
सिविल एवं सोयम वन प्रभाग
अल्मोड़ा

विषय :- जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा जागेश्वर के अन्तर्गत दन्या आरासलपड़ मोटर मार्ग के मयौली बैण्ड से चिमखोली तक मोटर मार्ग का निर्माण। (प्रस्ताव संख्या 1122/2015)

सन्दर्भ:- नोडल अधिकारी देहरादून दिनांक 11.09.2016।

महोदय,

उपरोक्त विषयक पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि नोडल अधिकारी देहरादून द्वारा उक्त विषयक वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में लगायी गयी आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर सूचना आन लाईन कर प्रेषित की जा रही है। जो निम्नवत् है।

प्रश्न	उत्तर
1 . Regarding point 1 the state Govt. may correct the title of the road because in FRA certificate the title provided as contruction of the road from Mayoli bend to Chimkholi.	एफ0आर0ए0 में मोटर मार्ग का नाम दन्या-आरासलपड़ मोटर मार्ग के मयौली बैण्ड से चिमखोली कर दिया गया है जो पार्ट-1 के ऐडिसनल इनफामेसन के सीरियल नम्बर 45 में अपलोड कर आन लाइन कर प्रेषित किया जा रहा है।
2. Regarding point 2 the state Govt may upload the employemct details in part I.	पत्र पार्ट-1 के ऐडिसनल इनफामेसन के सीरियल नम्बर 46 में अपलोड कर आन लाइन कर प्रेषित किया जा रहा है।
3. Total period for which the forest land proosed to be diverte is not mentioned in part I.	लीज अवधि का प्रमाण पत्र पार्ट-1 के ऐडिसनल इनफामेसन के सीरियल नम्बर 46 में अपलोड कर आन लाइन कर प्रेषित किया जा रहा है।
4. Regarding point 3 the revised CA scheme is provide in hard copy as an additional socument along with georefrenced map but the information regarding CA in part I and upload the revised KML file for CA site in online web portal along with other additional details in the column.	इसकी कै0एम0एल0 फाइल एल0सैक्सन में अपलोड कर आनलाईन कर प्रेषित किया जा रहा है।
5. Working plan prescription is not provided in part II, only	इसका निराकरण आपके विभाग से किया जाना है।

22/9
अधिशासी अभियन्ता,
नि0ख0, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा